

आदेश

क./स्था.3/व्यायाम शिक्षक/टी सर्वग/337/2021/ बिलासपुर दिनांक-24/08/2021

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भद्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एक आर नं 1103/2019/20-दो नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा शिक्षकों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन- प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर क./स्था.02/सीधी भर्ती/85/2020//355/ नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीष्ठता के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत **व्यायाम शिक्षक टी सर्वग** के पद पर सातवें वेतनमान 9300-34800 वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिशिक्षा अवधि में व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है-

रैंक/सोल नं	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	पदांकित शाला का नाम	संबंधित सर्वग
1	2	3	4	5	6 7
244/ 13091017	DHANANJAY SINGH, FATHER - SUKHNANDAN	HOUSE NO- STREET- JAI STAMBH CHOWK CITY- DONDKI POST OFFICE- RISDA DIST- Bilaspur STATE- CHHATTISGARH PINCODE-495551	SC	यू. डार्डस - 22041107509 शाला का नाम- उ०मा०वि० नारायणपुर विकासखंड- लैलुंगा, जिला- रायगढ़	UR

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी:-

1. नियुक्त शिक्षक 10 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. नियुक्त शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार परिशिक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापपेड देय होगा-
प्रथम वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
4. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कडिका 6 की उप कडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त टी सर्वग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

(Signature)